

अधिशूचना

पूँछि बरफ अधिनियम, १९९५ [अधिनियम संख्या-५३ सत्र, १९९५] उत्तर प्रदेश राज्य में, १ जनवरी, १९९६ को प्रवृत्त हो चुका है.

अतएव, अथ, उक्त अधिनियम की धारा, ५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते राज्यापाल सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, अथ संसद अध्याय एवं मुस्लिम बरफ विभाग को उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के उक्त दिनांक को पहले सर्वे उमिशनर बरफ उत्तर प्रदेश नियुक्त करते हैं।

आज्ञा है,



एम० सी० खान
सचिव

संख्या: जी०आर०-८/बाकन-२/१६ तद दिनांक

प्रतिलिपि अधिशूचना के ज़ेब्री स्थान पर ही प्रति सशित संपुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस शाखाग लखनऊ को सरकारी गुरु के आगामी अंक में प्रकाशनायें प्रेषित।

आज्ञा है,



एम० सी० खान
सचिव

संख्या: -जी०आर०-८/बाकन-२-१६-१-१६ तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 111 बरफ आसुक्त, ३० प्र०, लखनऊ ।
- 121 संसदा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
- 131 संसदा जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 141 निदेशक, अथ संसद अध्याय, ३० प्र० लखनऊ ।
- 151 प्रधान निदेशक, ३० प्र० बरफ विभागत निगम, लखनऊ ।
- 161 संसदा जिला अथ संसद अध्याय अधिकारी, ३० प्र०